The Telegraph
calcutta, india

| Wednesday , August 5 , 2015 |

SC/ST bill clears a step

Our Special Correspondent

New Delhi, Aug. 4: The Lok Sabha today cleared amendments to the SC/ST (Prevention of Atrocities) Act, strengthening provisions in the over 25-year-old law to curb the scope for misinterpretation by police or those accused of offences against Dalits and tribal people.

The passage in the lower House came exactly a year after the amendments to the 1989 act were introduced in Parliament.

With the Bihar polls barely months away, the government pushed the bill through on a day a large section of the Opposition was absent from the House.

The amendment bill, which would now go to the Rajya Sabha, defines offences that the existing law didn't cover. For example, while sexual assault is part of the existing law, the amendments, drafted by the social justice ministry, include "intentional touching" of a Dalit or tribal woman in a sexual manner "without consent" or "acts/gestures of sexual nature".

The bill also provides for presuming a caste motive behind a crime and puts the onus on the accused to prove otherwise.

Experts said the amendments would curb the scope of possible misinterpretation by the police or the accused. "There is more protection for victims and witnesses and there is a bar on anticipatory bail," Dalit activist S. Prasad said.

The bill also says that preventing Dalits and tribal people from filing nomination for elections or forcing them to withdraw, social or economic boycott, not allowing them to use common resources, including water, preventing them from entering a place of public worship or from taking out processions would be seen as offences.

"The amendments would, of course, be beneficial for the SC/STs. My only concern is that they will remain an election gimmick and not be implemented on the ground. Even today, a case of Dalit rape isn't registered," said Dharmendra Kumar of the Dalit Vikas Abhiyan Samiti.

The bill has provisions for exclusive courts to dispose of cases within two months, while appeals in high courts should be disposed of in three months. Also, it would be the duty of the state to provide protection to victims and witnesses.

The amendments say no SC/ST person can be forced to do manual scavenging in any form.

According to the 2011 Census, Scheduled Castes account for 16.2 per cent of India's population and Scheduled Tribes 8.2 per cent. The 2013 report of the National Crime Records Bureau said 39,408 cases of crimes against SC/STs were registered.

http://www.telegraphindia.com/1150805/jsp/nation/story_35508.jsp#.V8wUu8lfsj8

Executive Director
Dalit Vikas Abhiyan Samiti
Patna, Bihar (India)

दैनिक जागरण
(12) बुधवार, 1 जून 2011 : ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या, वि. 2

वैशाली जागरण

पटना, 1 जून 2011

दलितों के हालात पर विदेशी मेहमान ने जतायी चिंता

महुआ, निज प्रतिनिधि : महुआ अनुमंडल के इनके अनुसूचित जाति एवं कमजोर वर्ग टोला में जाकर उनकी समस्याओं एवं हालात को देखकर दुःख प्रकट किया। गैर सरकारी संस्था दलित विकास अभियान समिति एवं द्विया के द्वारा आए कनाडा प्रतिनिधि डील लेवीनस्की, मास्टर ऑफ एडियर्स कनाडा ने बताया कि राजधानी से सटे जिला और गांव अभी भी काफी शोषित पीड़ित है। उन्हें उनका अधिकार तक नहीं मिलता है, दलित समुदाय खाने-खाने को मोहताज है।

सरकार की योजना इलाज एवं कर्मचारी तक ही सीमित रह जा रही है। दलित समुदाय के लिए बनाई गई कानून एवं योजना तो है पर सही तरीके से लागू नहीं हो रही है। इन्होंने नीतीश सरकार के कार्य से प्रसन्न बताया परंतु यह भी बताया कि सरकार की योजना को धरातल पर लागू करने हेतु हर समुदाय की सहयोग की जरूरत है। महिलाओं को सम्मान दिया जाना चाहिए तभी आपकी बच्चे शिक्षित होंगे, स्वस्थ्य होकर सुखे समाज के लिए सोच सकता है। श्री डील ने बालकों को

सहयोग की जरूरत

- कहा– वाजिब हक से अब भी वंचित है दलित समाज

बताया कि दलित विकास अभियान समिति एवं राष्ट्रीय दलित सेंटर फोर मानवाधिकार के एक्टिविस्टों द्वारा की जा रही मानवाधिकार सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा अधिकार, आजीविका का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार के साथ लोगों के गरिमापूर्ण मान-सम्मान दिलाने की कार्य काफी सराहनीय है। ऐसे संस्था को प्रोत्साहित करना चाहिए तभी समुदाय जुड़कर सामाजिक आंदोलन का मुख्य रूप जोड़ कर अपनी मौलिक अधिकार हासिल कर सकती है। साथ ही लोगों को संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठकर शिक्षित बनने के लिए लोगों को प्रेरित किया।

ग्राम बामन घाट एवं बाजीतपुर मुसहरी टोला में श्री डील की महिला कैडरों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया।

कनाडा के प्रतिनिधि डील लेवीनस्की जागरण

महिला कैडर वेदमिना देवी, ललिता देवी ने गांव के दलित समुदाय की दयनीय स्थिति से अवगत कराया। श्री डील ने महिलाओं के द्वारा चलायी जा रही स्वयं सहायता समूह के कार्यकलाप, संचालन अम्बेडकर ग्राम समिति-संगठन के हालात स्वास्थ्य और दलित बच्चियों को शिक्षा से वंचित करने की जानकारी हासिल किया। संस्था द्वारा स्थापित अम्बेडकर ग्राम समिति संगठन के बदलाव से दलित समुदाय के लोग काफी खुश थे। इस अवसर पर ग्राम बाजीतपुर में महिला घरेलू हिंसा अधिनियम में प्रशासनिक भूमिका को लेकर सेमिनार का भी आयोजन किया गया जिसका श्री डील ने उद्घाटन करने के साथ बताया कि महिलाओं के हर कार्य में सहयोग बिना कार्य सफल नहीं हो सकती है। इसलिए महिलाओं को अपने घर में सम्मान मिलना चाहिए तभी न्यायपूर्ण समाज की कल्पना की जा सकती है। संस्था के निदेशक एवं मानवाधिकार एक्टिविस्ट धर्मेन्द्र कुमार ने बताया कि संस्था मानवाधिकार सुरक्षा और उनकी गरिमा की कानून एवं उनकी संविधान स्थापित कर कार्य की जा रही है। इसके साथ पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता ललित कुमार राय, संस्था प्रभारी मनोज, कैडर विनोद कुमार, केशिला देवी, बिना देवी, ललिता कुमारी सहित सैकड़ों महिला कैडरों ने भाग लिया।

दैनिक भास्कर

आप पढ़ रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 अखबार

कुल पृष्ठ 20 बिहार मूल्य ₹ 3.00

मुजफ्फरपुर, शनिवार 22 अक्टूबर, 2011 | 8

दलित विकास अभियान समिति ने की कार्यशाला

भास्कर न्यूज | ताजपुर

स्थानीय दलित विकास अभियान समिति के क्षेत्रीय कार्यालय ताजपुर परिसर में पंचायत जनप्रतिनिधि एवं कैडर योजना प्रबंधन विकास क्षमता वर्धन विषय पर शुक्रवार को कार्यशाला हुई। निदेशक धर्मेंद्र कुमार ने महादलित के विकास, सामाजिक न्याय समिति की मजबूती जैसे मुद्दे पर प्रकाश डाला। इसमें मोरवा की प्रखंड प्रमुख स्मिता शर्मा ने कहा कि महादलित के विकास के लिए उनके टोले में पहुंच पथ, पेयजल, शिक्षा, आवास समेत कई योजनाएं सरकार की ओर से चल रही है। जनप्रतिनिधियों की प्रमुखता व सक्रियता से उस योजना को धरातल में उतारने की जिम्मेदारी है। जिला पार्षद राजकिशोर पासवान, खाथी मुखिया रामनरेश सिंह, मोरवा उत्तरी के मुखिया संतोष कुमार शर्मा, निकसपुर मुखिया पूजा देवी, पंसस अलका कुमारी, राम किशोर शुक्ला आदि ने संबोधित किया। सभी ने पंचायत में महादलित के विकास के योजना को पंचायत में सक्रियता से लागू करने की बात रखी। मौके पर ममता कुमारी, राजीव कुमार, विवेक कुमार, रामदयाल राम, रंजीत कुमार राय आदि मौजूद थे।

www.samaylive.com

राष्ट्रीय सहारा

सच कहने की हिम्मत

राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण

खबरें हाईकोर्ट की

फतुहा की महादलित बस्ती में स्कूल खोलने का दिया निर्देश

पटना (एसएनबी)। पटना उच्च न्यायालय ने दलित विकास अभियान समिति द्वारा दायर जनहित लोक याचिका की सुनवाई करते हुए फतुहा के काली पंचायत के रामनगरस्थित महादलित बस्ती में सरकार को स्कूल खोलने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा व न्यायमूर्ति विकास जैन की पीठ ने जिलाधिकारी से बड़ा विकास के लिए योजना भी बनाने को कहा है। पीठ ने सरकार को इसके लिए आठ हफ्ते का समय दिया है। जिसका समय मार्च के अंत तक पूरा होने को है। मूलभूत सुविधायें मुहैया कराने एवं वहां स्कूल खोलने की मांग करते हुए दलित विकास अभियान समिति के निदेशक धर्मेंद्र कुमार ने अपने अधिवक्ता विकास कुमार मिश्र के माध्यम से जनहित याचिका दाखिल की थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि वहां अभी तक कोई भी मौलिक सुविधायें मुहैया नहीं करायी गयी है जबकि दलित बस्तियों में सभी सेवाएं मुहैया कराने को लेकर सरकार ने कई योजनायें बनायी हैं। इस बस्ती की आबादी 1163 है और उसमें से 950 अनुसूचित जाति से हैं। उसके 162 बच्चे हैं। वहां स्कूल खोलने का प्रस्ताव फतुहा प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी ने जून, 2011 में जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजा था। अधिकारी ने 4 सितम्बर, 2012 को जिला रिपोर्ट भेजकर स्कूल खोलने की जमीन भी होने की बात कही थी। दूसरी ओर याचिकाकर्ता ने वहां स्कूल खोलने को लेकर कई बार आवेदन दिया लेकिन उस पर अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की।

■ उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ ने सरकार को दिया आठ सप्ताह का समय

बिहार जागे... देश आगे

प्रभात खबर

मुजफ्फरपुर। पटना। भागलपुर। गया। रांची। जमशेदपुर। धनबाद। देवघर। कोलकाता। सिलीगुड़ी से प्रकाशित

कैडर योजना प्रबंधन विकास क्षमतावर्द्धन विषय पर कार्यशाला आयोजित

ताजपुर. स्थानीय दलित विकास अभियान समिति के क्षेत्रीय कार्यालय ताजपुर परिसर में पंचायत जनप्रतिनिधि एवं कैडर योजना प्रबंधन विकास क्षमतावर्द्धन विषय पर शुक्रवार को कार्यशाला आयोजित की गयी. निदेशक धर्मेंद्र कुमार ने महादलित के विकास, सामाजिक न्याय समिति की मजबूती जैसे मुद्दे को कार्यशाला में विस्तार से रखा. कार्यशाला को संबोधित करते हुये मोरवा प्रखंड प्रमुख स्मिता शर्मा ने प्रखंड व पंचायत में सामाजिक न्याय समिति समेत सात उप समिति कार्यरत हैं. महादलित के विकास में महादलित टोला में पहुंच पथ, पेयजल, शिक्षा ,आवास समेत कई योजना सरकार की ओर से चल रही है. पंचायत जनप्रतिनिधि को प्रमुखता व सक्रियता से उस योजना को धरातल में उतारने की जिम्मेदारी है. कार्यशाला को जिला पार्षद राजेश्वर पासवान, बाघी मुखिया रामनरेश सिंह, मोरवा उत्तरी के मुखिया संतोष कुमार शर्मा, निकसपुर मुखिया पूजा देवी, पंसस अलका कुमारी, राम किशोर शुक्ला आदि ने संबोधित किया. सभी ने पंचायत में महादलित के विकास के योजना को पंचायत में सक्रियता से लागू करने की बात रखी. मौके पर कविता कुमारी, राजीव कुमार, विवेक कुमार, रामदयाल राम, रंजीत कुमार राय समेत ताजपुर व मोरवा प्रखंड के कई प्रतिनिधि व कैडर उपस्थित थे.

लित विकास अभियान समिति

DVAS, Patna.

हिन्दुस्तान
प्रतिबिंब
05 फरवरी, 2004 3

दलितों के उत्थान में जुटी संस्था

[illegible]

मिसाल / बेमिसाल

[illegible]

विजय कुमार पांडेय

हिन्दुस्तान पटना • शुक्रवार • 23 जनवरी 2015 10

कोर्ट की फटकार पर सफाई शुरू

पटना सिटी | हिन्दुस्तान प्रतिनिधि

हाईकोर्ट की फटकार के बाद गुरुगोविंद सिंह अस्पताल परिसर में सफाई अभियान शुरू किया गया।

गुरुवार को नगर निगम सिटी अंचल की ओर से सात सफाई कर्मी एक जेसीबी व दो टीपर के साथ सफाई करने अस्पताल पहुंचे। मुख्य सफाई निरीक्षक केएन शुक्ला ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश पर परिसर स्थित कूड़ा-कचरा समेत अस्पताल प्रशासन की ओर से फेंके गए कचरों की सफाई की गई। इस दौरान गुरुवार को चार टीपर कचरा फेंका गया। उन्होंने बताया कि इतनी जल्दी इतनी सफाई संभव नहीं है। फिर भी अधिकांश कूड़े-कचरे का उठाव कर लिया गया है। अस्पताल प्रशासन की ओर से भी कचरों को नष्ट करने की कोई योजना नहीं होने से कचरों का अंबार लगा रहता है। उन्होंने बताया कि प्रसूति विभाग व क्वॉटर के पास कूड़ों के ढेर लगे थे। साथ ही अस्पताल के पूरब दिशा के अंतिम छोर के पास खुले मैदान में काफी मात्रा में कूड़ा था, जिसे हटाया जा रहा है।

पटना सिटी के जीजीएस अस्पताल में गुरुवार को कचरा उठाती जेसीबी मशीन।

क्या है मामला

दलित विकास अभियान समिति की ओर से दायर याचिका पर 12 जनवरी को पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी व न्यायाधीश गोपाल प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए अस्पताल की सफाई को लेकर कोताही बरते जाने पर नाराजगी जताते हुए सफाई कराने का निर्देश दिया था।

दो सप्ताह में देनी है रिपोर्ट: खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए सफाई अभियान चलाते हुए अनुमंडल एसडीओ को दो सप्ताह में एक्शन टेकन रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था। साथ ही रिपोर्ट में अस्पताल की सफाई के लिए अब तक किए गए उपाय और मौजूदा स्थिति की जानकारी देने के लिए कहा गया है।

प्रभात खबर
गया 05

■ 'शहरी गरीबी : मुद्दे, अवसर व चुनौतियां' पर रखे विचार

शिक्षा से ही दूर होगी गरीबी

शहरी गरीबी को कम करना है योजनाओं का लक्ष्य : सांसद

[illegible]

[illegible]

पांच साल में बनाये जायेंगे 10 लाख आवास : मंत्री

[illegible]

प्रभात खबर

बिहार जागे ... देश आगे

गया, गुरुवार 17 जुलाई, 2014
www.prabhatkhabar.com 08

'कठिन परिस्थितियों में जी रहे गरीब'

'शहरी गरीबों के लिए नीतियां एवं बुनियादी सुविधाएं' विषय पर परिचर्चा आयोजित

स्लम क्षेत्रों में सुविधाओं के अभाव पर विमर्श

संवाददाता, बोधगया

सरकार द्वारा शहरी गरीबों के लिए चलायी जा रही योजनाओं के सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं होने के कारण आज भी शहरी गरीबों की हालत दयनीय है. स्लम क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है. पेयजल, स्वास्थ्य सहित शिक्षा व शौचालय के मामले में ये क्षेत्र काफी पीछे चल रहे हैं. इसे सरकार के साथ-साथ स्वयंसेवी संस्थाओं व आम लोगों के सहयोग से दूर किया जा सकता है. बुधवार को बोधगया के [illegible] कार्यशाला में 'शहरी गरीबों के लिए नीतियां व बुनियादी सुविधाएं' विषय पर आयोजित परिचर्चा में यह तथ्य सामने आया. इसमें जागरूकता के अभाव में योजनाओं के लाभ से वंचित रहना भी एक कारण बताया गया. परिचर्चा में एमयू के ग्रामीण विकास संस्थान के निदेशक डॉ सुरेश प्रसाद ने कहा कि जागरूकता के अभाव में सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ शहरी गरीबों को नहीं मिल पाता है. इसके लिए स्वयंसेवी संस्थाओं को कार्यक्रम चला कर लोगों में सीधे जागरूकता लानी होगी. [illegible] ने कहा कि यह कटु सत्य है कि देश में एक बड़ी जनसंख्या जिसे हम शहरी गरीब के नाम से जानते हैं, वह आज भी पानी, बिजली, शौचालय, शिक्षा, स्वास्थ्य व आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं. हमें इसके लिए सामाजिक स्तर पर प्रयास करना होगा.

परिचर्चा में शामिल विभिन्न संस्थानों के प्रतिभागी. ■ फोटो। प्रभात खबर

परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए एमयू के अर्थशास्त्र के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो [illegible] सिंह ने कहा कि सरकारें सिर्फ बातें करती हैं, पर उनका निदान नहीं दिखता है. भारत में गरीबी को सापेक्ष रूप से नहीं, बल्कि निरपेक्ष रूप से देखा गया है. उन्होंने कहा कि बुनियादी सुविधाओं को समान रूप से तभी लागू किया जा सकेगा, जब समावेशी विकास की अवधारणा को अपने वास्तविक रूप में धरातल पर उतारा जायेगा.

स्लम क्षेत्र में खर्च होंगे डेढ़ करोड़ : नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी एसके लाल ने कहा कि स्तर के तहत नगर पंचायत के सात स्लम क्षेत्रों में [illegible], पेयजल व शौचालय आदि कार्यों के लिए एक करोड़ 68 लाख रुपये खर्च किये जाने हैं. इसके तहत प्रत्येक वार्ड में सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि 14 स्थानों पर अस्थायी पेशाब घर बनाया गया है व राजीव आवास योजना के तहत [illegible] 2400 लाभुकों को आवास बनाने के लिए सहयोग राशि दी जायेगी. श्री लाल ने अज्ञानता और पहल नहीं करने की आदत को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहना भी एक कारण बताया. नगर पंचायत के उपाध्यक्ष [illegible] कुमार सिंह ने कहा कि राजीव आवास योजना के तहत पहले बहुमंजिला इमारत बनाया जाना था, पर, लाभुकों ने इसका विरोध किया और निजी जमीन पर आवास बनाने की योजना पर काम हो रहा है.

बुनियादी सुविधाओं से वंचित

दलित विकास अभियान समिति व [illegible] संस्था के संयुक्त पहल पर आयोजित परिचर्चा में समिति के निदेशक धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि देश का 70 फीसदी सकल घरेलू उत्पाद शहरों में होता है. इसमें शहरी गरीबों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है. लेकिन, वे ही बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहते हैं. इसके लिए सामाजिक स्तर पर पहल करने की जरूरत है.

परिचर्चा में सामाजिक सुरक्षा के निदेशक चौधरी [illegible], पूर्व वार्ड पार्षद [illegible] [illegible] मंडल, [illegible] मांझी, ललिता देवी, [illegible], [illegible] मांझी, शोभा देवी, अनीता देवी, [illegible] देवी व कविता देवी आदि ने भी विचार व्यक्त किये. इसमें काफी संख्या में टोला सेवक, विकास मित्र, वार्ड पार्षद व स्वयंसहायता समूह के सदस्य शामिल हुए.

विश्व का सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला अखबार

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 52
पृष्ठ 20

गया, गुरुवार
15 दिसंबर, 2016

नगर संस्करण
मूल्य ₹ 3.00

10 प्रतिशत स्कूल आरटीआई के मापदंडों को करते पूर्ण

- शिक्षा के अधिकार कानून के क्रियान्वयन में विद्यालय शिक्षा समिति
- फेडरेशन व शिक्षकों की भूमिका' पर कार्यशाला आयोजित

जागरण संवाददाता, बोधगया (गया): बोधगया के एक होटल में बुधवार को 'शिक्षा के अधिकार कानून के क्रियान्वयन में विद्यालय शिक्षा समिति, फेडरेशन व शिक्षकों की भूमिका' विषय पर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला दलित विकास समिति, राइट टू एजुकेशन फोरम, [illegible] व [illegible] परियोजना के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित था। कार्यशाला को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा अधिकार फोरम के प्रतिनिधि [illegible] ने कहा कि शिक्षा के अधिकार कानून को छह वर्ष पूरे होने पर भी देश में 60 लाख से ज्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं। आज केवल 10 प्रतिशत स्कूल ही आरटीआई के मापदंडों को पूर्ण करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या 8 करोड़ से ज्यादा आंकी गई है। जो बेहद चिंता की बात है। बजट कटौती ने इस कानून के क्रियान्वयन की संभावना को और कमजोर कर दिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली समाज में एक गहरी खाई बनाने का कार्य कर रही है। समिति के निदेशक धर्मेंद्र कुमार ने स्वागत संबोधन में कहा कि शिक्षा की गुणात्मकता में वृद्धि करने के लिए संबद्ध नागरिकों को जिम्मेवारी लेनी होगी। शिक्षक संघ व टोला सेवकों को सक्रिय होना होगा। आज 25 फीसदी आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित तबकों के बच्चों का नामांकन निजी स्कूलों में नहीं हो सका है। जो शिक्षा के अधिकार कानून में निहित है। कार्यशाला में [illegible] मांझी, [illegible] भूषण, नप उपाध्यक्ष दिनेश सिंह ने संबोधित किया। कार्यशाला में जिले के दो प्रखंड के पंचायत प्रतिनिधि, शिक्षा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष व सदस्य शिक्षक, टोला सेवक, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि व प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने भाग लिया। कार्यशाला में [illegible] मंडल, [illegible] कुमार मांझी, [illegible] कुमारी, [illegible] कुमारी, [illegible] मांझी सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे। कार्यशाला का समापन [illegible] कुमारी के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ।

शिक्षा पर कार्यशाला जागरण

विश्व का सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला अखबार

दैनिक जागरण

गया जागरण

www.jagran.com

महादलित मतदाता भी दिखे जागरूक

[illegible]

कहीं चुस्त कहीं सुस्त

[illegible]

सन्मार्ग

पटना, शुक्रवार 22 फरवरी 2014

शहरी गरीबी एवं शहरी अभिशासन पर परिचर्चा

गया : 21 फरवरी 2014 देश में पिछले दो दशकों में तेजी से बढ़ते हुए शहरीकरण और उससे संबंधित शहरी गरीबी और शहरी अभिशासन के मुद्दों पर आगामी लोक-सभा चुनाव के पूर्व राजनैतिक जागरूकता अभियान के अन्तर्गत दलित विकास अभियान समिति एवं प्रिया, निदान, आईजीएसएस के द्वारा परिचर्चा का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए दलित विकास अभियान समिति के निदेशक धर्मेन्द्र कुमार ने कहा की योजना आयोग के कार्य समूह के अनुसार देश का 70 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद शहरों से होता है। इसमें 65 प्रतिशत योगदान सेवा क्षेत्र से आता है जिसमें अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले असंगठित कामगारों का महत्वपूर्ण योगदान है। आज देश में 2001-11 तक जहाँ शहरी आबादी का विकास दर लगभग 32 प्रतिशत वहीं ग्रामीण आबादी की वृद्धि मात्र 12 प्रतिशत है। पिछले दस वर्षों में बिहार के शहरी आबादी का दसकीय वृद्धि दर 34 प्रतिशत के लगभग रहा है। ये सारी बातें इस ओर इशारा करती है कि शहरी जनसंख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और फलस्वरूप मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे भी उभरकर सामने आए है, जिनका समय रहते निदान आवश्यक है, और इसके लिए जरूरी है की राजनैतिक दल इन मुद्दों को देश के हित में राष्ट्रीय एजेंडा बनाए। मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष जयनंद कुमार ने प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए कहा की यद्यपि पार्टी मेनीफेस्टो राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जाता है। किन्तु इस गतिविधि में क्षेत्रीय स्तर के कार्यकर्ताओं की भूमिका होती है। अपने पार्टी के स्टैंड को स्पष्ट करते हुए की भाजपा शहरी क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य पर बल देगी। नगर पंचायत बोधगया के उपाध्यक्ष दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि निकाय को मुनिसिपल एक्ट के अनुसार अधिकार और शक्तियां प्रदान किया जाना चाहिए। तभी स्वतंत्र और प्रभावी रूप से शहरी गरीबी उन्मूलन पर कार्य किया जा सकता है। मौके पर आप पार्टी के जिला संयोजक सुमन, राजद के विजय यादव सहित अन्य लोग मौजूद थे।

विश्व का सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला अखबार

दैनिक जागरण

4 | दैनिक जागरण पटना, 18 मई 2012

गया जागरण

www.jagran.com

महादलित मतदाता भी दिखे जागरूक

... मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की कतार व ... एक मतदान केन्द्र पर सोते पुलिसकर्मी

कहीं चुस्त कहीं सुस्त

भारत का सबसे बड़ा समाचार पत्र समूह

दैनिक भास्कर

बिहार

पटना, गुरुवार, 11 दिसंबर, 2014 5 पटना

'शिक्षा बिना विकास संभव नहीं'

- शहरी गरीब बच्चों की शैक्षणिक स्थिति पर परिसंवाद

भास्कर न्यूज | पटना

प्रिया संस्था, दलित विकास अभियान समिति और पीए की ओर से बुधवार को बीआईए सभागार में शहरी गरीब बच्चों की शैक्षणिक स्थिति पर नगर स्तरीय परिसंवाद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले परिवार के सदस्यों ने भाग लिया। झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों ने अपनी-अपनी समस्याओं को रखा। कहा स्कूलों में किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं रहती है। हमारे बच्चों को पढ़ाने में कोई खास ध्यान भी नहीं दिया जाता।

वहीं बतौर मुख्य अतिथि जिला शिक्षा पदाधिकारी महेश प्रसाद सिंह ने कहा कि जिस समाज का हर एक बच्चा शिक्षित नहीं होगा उस समाज के विकास की कोई संभावना नहीं है। मो. मोख्तारुल हक ने कहा कि देश के 6 करोड़ बच्चों का स्कूल से बाहर रहना चिंता का विषय है। सरकारी विद्यालय में मिल रही शिक्षा बच्चों का भला कर पाएगी इस पर शक है। परिसंवाद में झुग्गी-झोपड़ी से आए हुए अभिभावकों ने भी अपनी समस्याओं को रखा। इस अवसर पर अमिताभ भूषण, धर्मेंद्र कुमार, बसंत सिंह आदि मौजूद थे।

बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में नगर स्तरीय परिसंवाद में मुख्तारुल हक व अन्य।

दैनिक जागरण
शुक्रवार, 11 मई 2012 : ज्येष्ठ कृष्ण 6, वि. 2069

6 | दैनिक जागरण पटना 11 मई 2012

साजिश के तहत काटा मतदाता सूची से नाम

◆ दलित विकास अभियान समिति का मीडिया परिसंवाद आयोजित

बोधगया (गया), निप्र : दलित विकास अभियान समिति का मीडिया परिसंवाद कार्यक्रम का आयोजन गुरुवार को बोधगया में किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समिति के निदेशक सह मानवाधिकार एक्टिविष्ट धर्मेन्द्र कुमार ने कहा कि बोधगया नगर पंचायत क्षेत्र में एक साजिश के तहत दलित वर्ग के मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से काट दिया गया है। ताकि मतदान करने से दलित वर्ग के लोग वंचित रह सकें। जबकि मतदाता सूची से जिनका नाम काटा गया है वे विधानसभा चुनाव में मतदाता रहे हैं। यह दलितों के वोट से वंचित रखने की दृष्टि से साजिश है। श्री कुमार ने कहा कि मीडिया परिसंवाद कार्यक्रम आयोजन का उद्देश्य दलित कमजोर वंचित समुदाय को वोट के अधिकार के प्रति समझ विकसित कर मतदान की शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करना और सच्चे प्रत्याशी का चयन करना है। प्रिया बिहार के समन्वयक अमिताभ भूषण ने कहा कि वोट देना भारतीय संविधान के अनुसार मानव अधिकार है। 18 वर्ष से ऊपर के हर नागरिक को मतदाता सूची में नाम दर्ज किया जाना चाहिए। नागरिक को वोट देने से वंचित रखना मानव अधिकार का हनन है। इस अवसर पर श्री कुमार द्वारा 'जो हमारी सुनेगा, हम उसे चुनेंगे' नाम से एक घोषणा पत्र जारी किया गया।

बिहार जागे... देश आगे
प्रभात खबर
गया । पटना । मुजफ्फरपुर । भागलपुर । रांची । जमशेदपुर । धनबाद । देवघर । कोलकाता । सिलीगुड़ी से प्रकाशित

प्रभात खबर गया 15.12.2016 गया, गुरुवार 08

चिंतनीय. 60 लाख बच्चे स्कूल से बाहर

निजी स्कूलों में गरीबों का नहीं होता नामांकन

■ आरटीइ में विद्यालय शिक्षा समिति फेडरेशन व शिक्षकों की भूमिका पर हुई कार्यशाला

संवाददाता ▸ बोधगया

कार्यशाला में शामिल जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी व अन्य.

दलित विकास अभियान समिति ने राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत राइट टू एजुकेशन फोरम व वॉलिंटरी फोरम ऑफ एजुकेशन, बिहार के साथ मिल कर टीडीएच परियोजना के तहत बुधवार को बोधगया के एक होटल में शिक्षा के अधिकार कानून (आरटीइ) में विद्यालय शिक्षा समिति फेडरेशन व शिक्षकों की भूमिका विषय पर जिलास्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया. कार्यशाला में कानून के लागू होने के करीब साढ़े छह वर्ष पूरे होने का हवाला देते हुए बताया गया कि खास कर, गया में शिक्षा व स्कूलों की स्थिति बेहतर नहीं है. दलित विकास अभियान समिति के निदेशक धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि शिक्षा की गुणात्मक वृद्धि करने के लिए सभी नागरिकों को जिम्मेवारी लेनी होगी. उन्होंने इसके लिए प्रबंध समिति से लेकर शासकीय विभाग, शिक्षक संघों व टोलासेवकों में सक्रियता लाने पर जोर दिया. आंकड़ों के मुताबिक, निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर व वंचित 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन लिया जाता है. लेकिन, स्थिति अत्यंत दयनीय है. कार्यशाला में राष्ट्रीय शिक्षा अधिकार फोरम के प्रतिनिधि मित्रंजन ने राष्ट्रीय परिदृश्य में कहा कि कानून के साढ़े छह वर्ष पूरे होने पर भी पूरे भारत में अब भी 60 लाख से ज्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं. आज केवल 10 प्रतिशत स्कूल ही आरटीइ के मानदंडों को पूरा कर पाये हैं. उन्होंने कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार, आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या आठ करोड़ से भी अधिक आंकी गयी है, जो बेहद चिंता की बात है. कार्यशाला में नगर पंचायत के उपाध्यक्ष दिनेश कुमार सिंह, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुरेश ठाकुर, एसएमसी सदस्य ब्रजनंदन मांझी, सामाजिक कार्यकर्ता जगतभूषण व अन्य ने शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए एकजुट प्रयास पर बल दिया. कार्यशाला में दो प्रखंडों से करीब 70 लोगों ने भाग लिया. इसमें विंदेश्वर मंडल, उदय कुमार मांझी, कविता कुमारी, शोभा कुमारी, हेमंती कुमारी व अन्य ने योगदान दिया.